जनपद-हमीरपुर

थाना – मुस्करा **दिनांक -19.11.2026**

थाना मुस्करा पुलिस टीम द्वारा अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

पुलिस कार्यवाही-



अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुस्करा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए आज दिनांक 19.11.2026 को जरिए मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त सचिन राजपूत पुत्र माधव राजपूत निवासी चार थोक कस्बा व थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को जैत्यमाल बाबा तिराहा से मंदिर की तरफ लगभग 100 मीटर आगे एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना मुस्करा पर मु0अ0सं0 200/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सचिन राजपूत पुत्र माधव राजपूत(उम्र करीब 23 वर्ष) निवासी चार थोक कस्बा व थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण-

एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर।

एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 पवन कुमार सिंह

2.का0 रोहित यादव

3.का0 उपेन्द्र पटेल

4.का0 अंशुल सिंह